

31.7.18

पत्रावली पेशाङ्गी वेल्पाडेड कार्या
 का कथन की कि अधीनस्थ न्यायालय ने
 मूलपत्र दिनांक 28.11.17 को अदालत
 पत्रों में अदालत हाजिरी में स्वादिष्ट
 हो गया है तथा आदेशों के तब तक
 वरु के पुनः माफ़ पत्र नहीं लीने
 काष्ठ प्रार्थना पर पेशा नए
 करवाए। अतः यह अपील को
 निरस्त करने हो गया है। अतः अपील
 खातिर अने नए आदेशों को

अने तब तक अदालत को
 अदेश दिनांक 28.11.17 को अदालत को
 करवाया। तब तक अदालत में वरु
 खातिर हो पुनः अतः यह
 अपील पर माफ़ अने नए पत्र
 निरस्त करने को नए खातिर
 अमादा है

पत्रावली को नए नए
 हो नए नए नए नए नए नए नए
 तब तक वरु के अदेश

निर्णय दिनांक 31.7.18
 को नए नए नए नए नए
 अतः 31.7.18